न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

(125)

प्रकरण क्रमांक : निगरानी–रतलाम/भू0रा0/2018/5467 – विरूद्ध– आदेश दिनांक 31–5–2018 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 135/2016–17 अपील

1– जितेन्द्र पुत्र रमेश चन्द्र कटारिया
2– रमेशचन्द्र पुत्र इंदरमल कटारिया
दोनों 41 गोपालनगर रतलाम ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– रतनलाल 2– रघुलाल
3– रमेशचन्द्र 4– रणछोड़लाल
5– बाबूलाल सभी पुत्रगण हीरालाल कुलमबी
ग्राम कुआझागर तहसील व जिला रतलाम ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एम0एल0चौधरी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रीतेश शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 12–04–2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्र0क0 135/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31–5–2018 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रणछोड़ एंव बाबूलाल ने अपर तहसीलदार टप्पा मुन्दड़ी तहसील रतलाम को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम मुन्दड़ी स्थित भूमि सर्वे क. 377/1/1 एंव 377/1/2 कुल किता 2 कुल रकबा 3–800 है0 के बटवारे की मांग की। अपर तहसीलदार टप्पा मुन्दड़ी तहसील रतलाम ने प्रकरण क्रमांक 9 अ 27/12–13 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 10–7–13 पारित करके पक्षकारों के बीच भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी,ग्रामीण रतलाम के समक्ष रतनलाल

पुत्र हीरालाल ने अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण रतलाम ने प्रकरण कमांक 42/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-2016 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध रतनलाल, रघुलाल, रमेशचंद्र ने अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण कमांक 135/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-75-2018 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण रतलाम का आदेश दिनांक 27-5-2016 एंव अपर तहसीलदार टप्पा मुन्दड़ी तहसील रतलाम का आदेश दिनांक 10-7-13 निरस्त कर दिया। इसी प्रकार इस आदेश को पुनरावलोकन में विचार हेतु संहिता की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन भी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण कमांक 8/17-18 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 23-7-18 से निरस्त कर दिया। इन्हीं आदेशों से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्र0क0 135/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-5-2018 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण रतलाम के आदेश दिनांक 27-5-2016 एंव अपर तहसीलदार टप्पा मुन्दड़ी तहसील रतलाम के आदेश दिनांक 10-7-13 निरस्त किये है जिसके कारण वादग्रस्त भूमि बटवारा आदेश के पूर्व की स्थिति में पक्षकारों के संयुक्त नाम से पहुंच गई है । अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश के परिणाम स्वरूप क्या वादग्रस्त भूमि का बटवारा नहीं होगा ? पाया गया कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31-5-18 अपूर्ण आदेश की श्रेणी में एंव संहिता की धारा 178 में कृषकों को दी गई बटवारा व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

5/ प्रकरण में उपजी परस्थितियों पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन के प्रकरण कमांक 135/2016-17 में पारित

आदेश दिनांक 31-5-18 तथा अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण रतलाम द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर तहसीलदार टप्पा मुन्दड़ी तहसील रतलाम के आदेश दिनांक 10-7-13 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण रतलाम के समक्ष प्रथम अपील 12-11-2013 को अर्थात आदेश पारित होने के 123 दिवस वाद प्रस्तुत हुई है जबकि संहिता की धारा 47 (सॅशोधित जारी अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर 2011) के अनुसार प्रथम अपील हेतु समयावधि 30 दिवस निर्धारित है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27-5-13 के पद 4 में विवेचित किया है कि:-

" अपीलांट के अभिभाषक ने मुख्य तर्क में बताया कि अपील मेमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा अतिरिक्त तर्क में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायलय ने एक पक्षीय बटवारा आदेश पारित किया गया एंव ट्रेस नक्शा बना दिया गया। अपीलांट ने दिनांक 10-9-2013 को ही आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसकी नकल दिनांक 30-10-13 को प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अवधि को कम किया जाकर अपील को अवधि अंदर मान्य किया जाकर अपील को दोषों के आधार पर निराकरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। "

उक्तानुसार जब दि. 30-10-13 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो चुकी थी, तब अपील 12-11-2013 को प्रस्तुत करने पर 30-10-13 के वाद के दिनों का दिनप्रतिदिन का हिसाव दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता ने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में इस प्रकार का अभिवचन किया है :-

" अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। सर्वप्रथम दिनांक 8-8-2013 को जब हर्षेन्दु पी.भरगट एडवोकेट ने सार्वजनिक सूचना जाहिर की जिसे अपीलांट ने दिनांक 13-8-2013 को पढ़ा, उसके पश्चात् अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण की जानकारी प्राप्त की तो अपीलांट को दिनांक 9-9-2013 को इस बात की जानकारी हुई कि रेस्पाण्डेन्ट रणछोड़ ने तथ्यों को छुपाते हुये ग्राम मूॅदड़ी के पटवारी व तामील कुनिन्दा से मिलकर गलत रिपोर्ट विद्धान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी।

जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता स्वयं् लिखकर स्वीकार कर रहा है कि उसे अपर तहसीलदार के आदेश की जानकारी 13-8-2013 को

सार्वजनिक सूचना से हो चुकी , तब 10–9–13 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन लगाया जाना एंव 13–8–13 से 10–9–13 तक व्यतीत समय का सम्यक समाधान न कराने के आधार पर ही अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के तथ्यों को ठोस आधारों पर आधारित न होना मानने में त्रृटि नहीं की है।

1. लंगरी वाई विरूद्व छोटा 1992 रा.नि. 289 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब के लिये माफी पक्षकार का अधिकार नहीं है किन्तु न्यायालय को इस वैवेकिक अधिकारिता के प्रयोग के लिये पर्याप्त कारण का सबूत पुरोभाव्य शर्त है।
2. पी.के.रामचन्द्र बनाम स्टेट आफ केरल **A.I.R. 1998 S.C. 2276** का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण व आधार वर्णित थे उनको देखने से यह दर्शित होता था कि विलम्ब का समुचित व पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। विलम्ब क्षमा करने से इंकार किया गया।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये विपरीत अर्थ निकाल कर आदेश दिनांक 31–5–2018 पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण क्रमांक 135/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31–5–2018 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणाम–स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण रतलाम व्दारा प्रकरण क्रमांक 42/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–5–2016 एंव अपर तहसीलदार टप्पा मुन्दड़ी तहसील रतलाम व्दारा प्रकरण क्रमांक 9 अ 27/ 12–13 में पारित आदेश दिनांक 10–7–13 यथावत् रहते हैं।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर